

[2014] 7 एस.सी.आर 606

अभय कुमार सिंह और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2014 की दीवानी अपील संख्या 8450)

2 सितंबर, 2014

[टी. एस. ठाकुर, आदर्श कुमार गोयल और आर. भानुमति, न्यायमूर्ति गण]

सेवा कानून: सेवा से बर्खास्तगी - सिपाही का पद - अपीलकर्ताओं को उनकी ऊँचाई संबंधित श्रेणियों में अंतिम उम्मीदवार की ऊँचाई से अधिक होने के आधार पर सिपाही के रूप में चुना गया - नियुक्ति के 4 वर्ष बाद इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कि उनकी ऊँचाई हेरफेर के कारण सही ढंग से दर्ज नहीं की गई थी और पुनः माप करने पर उनकी ऊँचाई चयनित अंतिम व्यक्ति की ऊँचाई से कम पाई गई। - अभिनिर्धारित किया गया: हेरफेर के आरोप की विधिवत जाँच की गई और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निष्कर्ष दर्ज किया गया - इस प्रश्न पर ध्यान दिए बिना कि उम्मीदवारों की अधिक ऊँचाई के आधार पर चयन करने में अपनाए गए मानदंड वैध थे या नहीं, तथ्य यह रहा कि अपीलकर्ताओं ने हेरफेर किया और अपनी ऊँचाई गलत तरीके से अपनी वास्तविक ऊँचाई से अधिक दर्ज करवाई - साथ ही, ऊँचाई के सही रिकॉर्ड की ज़िम्मेदारी विभाग की है और अपीलकर्ताओं के विधिवत चयनित और नियुक्त होने और चार वर्षों तक सेवा में रहने के बाद, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, उनकी सेवा समाप्ति बहुत कठोर होगी - इन परिस्थितियों में, जबकि अपीलकर्ता बहाली के हकदार नहीं हैं, उत्तरदाता को निर्देश दिया जाता है कि वह उपलब्ध रिकॉर्डों के विरुद्ध अपीलकर्ताओं को सिपाही के रूप में तीन महीनों के भीतर नई नियुक्ति प्रदान करे - बिहार पुलिस नियमावली, 1978 - नियम 663(ख) - बिहार पुलिस अधिनियम, 2007

अपीलकर्ताओं ने सिपाही के पद के लिए आवेदन किया था और उनका चयन उनकी ऊँचाई के आधार पर किया गया था, जो संबंधित श्रेणियों में चयनित अंतिम उम्मीदवार की ऊँचाई से अधिक थी। हालाँकि, चार साल बाद, जाँच के बाद उन्हें इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कि हेरफेर के कारण उनकी ऊँचाई सही दर्ज नहीं की गई थी और

दोबारा माप लेने पर उनकी ऊँचाई चयनित अंतिम उम्मीदवार की ऊँचाई से कम पाई गई। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की बहाली की माँग को खारिज कर दिया।

तत्काल अपील में विचारणीय प्रश्न यह थे कि क्या पुलिस सिपाही के चयन के लिए ऊँचाई एकमात्र मानदंड हो सकती है और क्या अपीलकर्ताओं, जिनकी ऊँचाई निर्धारित थी, लेकिन दर्ज की गई ऊँचाई से अधिक नहीं थी, को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता था।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. भर्ती नियमों में संशोधन किया गया। बिहार पुलिस में सिपाहियों के चयन से संबंधित बिहार पुलिस नियमावली, 1978 के नियम 663 (ख) को बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के साथ पठित करके नए परिशिष्ट 103 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो लिखित परीक्षा के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करने का प्रावधान करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों को एक शारीरिक परीक्षण/माप के लिए उपस्थित होना होगा जो अनिवार्य है, लेकिन उस आधार पर कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। उक्त घटनाक्रम से पता चलता है कि राज्य स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं था कि निर्धारित ऊँचाई की अहर्ता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों में से चयन के लिए ऊँचाई ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए। इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या निर्धारित ऊँचाई वाले उम्मीदवारों में से चयन के लिए केवल ऊँचाई ही एक मानदंड होनी चाहिए, अकादमिक बना दिया गया है। दोनों पक्षों ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, ऊँचाई एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती। [कंडिका 5 और 6] [611-एफ-एच; 612-ए-सी]

2. इस प्रश्न के बावजूद कि क्या उम्मीदवारों की अधिक ऊँचाई के आधार पर चयन करने में अपनाए गए मानदंड वैध थे, तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं को हेरफेर करने और उनकी ऊँचाई को उनकी वास्तविक ऊँचाई से अधिक गलत तरीके से दर्ज करने का दोषी पाया गया। साथ ही, ऊँचाई की सही रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी विभाग की थी और अपीलकर्ताओं के विधिवत चयन और नियुक्ति के बाद, और चार साल तक सेवा में रहने के बाद, तथ्यों और परिस्थितियों में, उनकी समाप्ति बहुत कठोर होगी। इन परिस्थितियों में, जबकि अपीलकर्ताओं को पिछले वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल नहीं किया गया है, उत्तरदाता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ताओं को तीन महीने के भीतर उपलब्ध रिक्तियों पर सिपाही के रूप में नई नियुक्ति दे। [कंडिका 12] [613-एफ-एच; 614-ए-बी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की दीवानी अपील संख्या 8450

एल.पी.ए. संख्या 1356/2005, 1357/2005, 1358/2005, 1360/2005 एवं 1361/2005 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16-12-2005 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से एस. एन. झा, अरूप बनर्जी, द्वनाथ आनंद, अपर्णा झा।

उत्तरदाताओं की ओर से मनीष कुमार, गोपाल सिंह।

न्यायालय का निर्णय आदर्श कुमार गोएल, न्यायमूर्ति के द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह मामला हमारे समक्ष इस न्यायालय के पूर्व आदेश से दो न्यायाधीशों की पीठ की असहमति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या पुलिस सिपाही के चयन के लिए ऊँचाई ही एकमात्र मानदंड हो सकती है। 17 फ़रवरी, 2009 के आदेश में इस मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए कहा गया है:-

"यह विवाद बिहार राज्य में सिपाहियों के चयन से संबंधित है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 सेमी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 160 सेमी निर्धारित थी। यह सच है कि याचिकाकर्ताओं की ऊँचाई उस न्यूनतम ऊँचाई से अधिक थी। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार चयन के लिए ऊँचाई ही एकमात्र मानदंड थी, जो हमारे विचार से मनमाना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

हमारी राय में, एक बार जब किसी उम्मीदवार की न्यूनतम ऊँचाई संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित हो जाती है, तो ऊँचाई अप्रासंगिक हो जाती है और अन्य मानदंडों, जैसे बुद्धि, शारीरिक शक्ति आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में, न्यूनतम ऊँचाई वाले उम्मीदवारों में से चयन केवल उपलब्ध रिक्तियों के लिए सबसे लंबे उम्मीदवारों का चयन करके किया गया था। हमारा मानना है कि यह पूरी तरह से मनमाना था, और पुलिस सिपाहियों में ऊँचाई के अलावा बुद्धि और अन्य योग्यताएँ भी होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि बीस रिक्तियाँ हैं और 100 उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई नियमों के अनुसार है, तो ऐसी स्थिति में, हमारी राय में, चयन प्राधिकारी इन 100 उम्मीदवारों में से सबसे लंबे बीस उम्मीदवारों का वैध रूप से चयन नहीं कर सकता है।

हालाँकि, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा बिहार राज्य एवं अन्य बनाम माल बाबू शर्मा (दीवानी अपील संख्या 2711, वर्ष 2002, विशेष अनुमति याचिका (ग) संख्या 21688, वर्ष 2001 से उद्भूत) के मामले में पारित निर्णय की ओर आकर्षित किया, जिसमें बिहार राज्य का तर्क स्वीकार कर लिया गया है। हम सम्मानपूर्वक खंडपीठ द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं और इसलिए, हम इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक वृहद पीठ को संदर्भित करते हैं।"

3. अपीलकर्ताओं ने 27 अक्टूबर, 1998 के एक विज्ञापन के जवाब में सिपाही के पदों के लिए आवेदन किया था और उनका चयन इस आधार पर किया गया था कि उनकी लंबाई संबंधित श्रेणियों यानी सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम उम्मीदवार की ऊंचाई से अधिक थी। बाद में पता चला कि हेरफेर के कारण उनकी ऊंचाई सही ढंग से दर्ज नहीं की गई थी और दोबारा माप करने पर उनकी ऊंचाई चयनित अंतिम व्यक्ति की ऊंचाई से कम पाई गई। इस आधार पर, जांच के बाद, उन्हें 25 अगस्त, 2003 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जबकि खंडपीठ ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और निम्नलिखित टिप्पणी की:-

".....यदि रिट याचिकाकर्ताओं ने गलत तरीकों का सहारा लेकर अपनी ऊँचाई गलत मापी और आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज कराई, तो वे बाद में केवल इस आधार पर अपने चयन का बचाव नहीं कर सकते कि धोखाधड़ी का पता चलने के बाद भी उनकी वास्तविक ऊँचाई ऊँचाई को नियंत्रित करने वाले न्यूनतम पात्रता मानदंड के बराबर या उससे अधिक है। याचिकाकर्ताओं को सेवा से इस आधार पर नहीं हटाया गया कि उनके पास विज्ञापन या नियमों में दी गई न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई नहीं थी, बल्कि इस आधार पर कि वे गलत माप और अपनी ऊँचाई के संबंध में गलत प्रविष्टियों के कारण चयन प्रक्रिया में सफल हुए। दूसरा मुद्दा यह है कि आक्षेपित आदेश या जाँच में धोखाधड़ी और जालसाजी का आधार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर गंभीरता से विचार करने योग्य नहीं है कि विवाद केवल ऊँचाई के माप से संबंधित था, जिसकी पुनः जाँच और सत्यापन किसी विश्वसनीय प्राधिकारी द्वारा आसानी से किया जा सकता था, जो प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं था। ऐसा करने के बाद, यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी के लाभार्थी नहीं हैं"

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम माल बाबू शर्मा [दीवानी । अपील संख्या 2711/2002] के एक पूर्व मामले में, जिसका निर्णय 15.4.2002 को हुआ था, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या अपेक्षित न्यूनतम ऊँचाई वाले उम्मीदवार को इस आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है कि दूसरे उम्मीदवार की ऊँचाई अधिक है। यह माना गया कि यदि अधिक ऊँचाई वाले उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो कम ऊँचाई वाले उम्मीदवारों को भी अपेक्षित न्यूनतम ऊँचाई होने पर भी अस्वीकार किया जा सकता है। यह निम्नलिखित रूप से देखा गया:-

".....राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 171.5 सेमी से कम ऊँचाई वाले किसी भी व्यक्ति को सिपाही के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है और उत्तरदाता की ऊँचाई 168 सेमी पाई गई है, इसलिए उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। उत्तरदाता द्वारा इस दावे का खंडन नहीं किया गया है, हालाँकि एक प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है। यह ऊँचाई के मनमाने पुनर्निर्धारण का मामला नहीं है, बल्कि वास्तव में छद्मवेश पर रोक लगाने का मामला है। उपरोक्त आधारों पर, हमारा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता को सिपाही के रूप में नियुक्त करने का परमादेश जारी करने में त्रुटि की है...।"

4. जब यह मामला पहले दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, तो पीठ ने उपरोक्त दृष्टिकोण से असहमति जताई थी। यह पाया गया कि एक बार उम्मीदवार की न्यूनतम ऊँचाई निर्धारित हो जाने पर, अधिक ऊँचाई एक अप्रासंगिक विचार है और पहले दिए गए दृष्टिकोण को सही नहीं माना जा सकता। तदनुसार, मामले को इस पीठ के समक्ष संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5. पिछली तारीख को जब मामला विचारार्थ आया, तो न्यायालय को सूचित किया गया कि भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है और उन्हें अभिलेख पर रखने का प्रस्ताव है। संशोधित नियमों को अभिलेख में रख दिया गया है। बिहार पुलिस में सिपाहियों के चयन से संबंधित बिहार पुलिस नियमावली, 1978 के नियम 663 (ख) को बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के साथ पठित, नए परिशिष्ट 103 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करने का प्रावधान है। चयनित उम्मीदवारों को एक शारीरिक परीक्षण/माप के लिए उपस्थित होना होगा जो अनिवार्य है, लेकिन उसके आधार पर कोई अंक नहीं दिए जाएँगे।

6. उपरोक्त घटनाक्रम से पता चलता है कि राज्य स्वयं इस बात से संतुष्ट नहीं था कि

निर्धारित ऊँचाई की आवश्यकता पूरी करने वाले उम्मीदवारों में से चयन के लिए ऊँचाई ही एकमात्र मानदंड होनी चाहिए। इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या निर्धारित ऊँचाई वाले उम्मीदवारों में से चयन के लिए केवल ऊँचाई ही एक मानदंड होनी चाहिए, अब अकादमिक हो गया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में, ऊँचाई ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती।

7. विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को, जिनकी निर्धारित ऊँचाई थी, लेकिन दर्ज ऊँचाई से अधिक नहीं थी, सेवा से बर्खास्त किया जा सकता था।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से, 2014 की अंतरिम आवेदन संख्या 3 इस आशय से दायर की गई है कि समान पद पर नियुक्त उम्मीदवारों में से एक, बृज किशोर राम ने बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसे 24 नवंबर, 2011 को स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सेवा में बहाल कर दिया गया था:-

".....विभागीय जाँच में कहीं भी धोखाधड़ी से संबंधित कोई पहलू नहीं दर्शाया गया है। मुझे सेवा से बर्खास्तगी का कोई आधार नहीं दिखता। मुझे यह आदेश पूरी तरह से गलत लगता है। इसलिए, निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है:-

1. बर्खास्तगी का आदेश अपास्त किया जाता है।

2. उसे बर्खास्तगी की तारीख से सेवा में बहाल किया जाता है और यह माना जाएगा कि उसकी बर्खास्तगी नहीं हुई है। तदनुसार, उसकी सेवा अवधि गिनी जाएगी।"

9. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विधिवत चयनित होने और ऊँचाई गलत दर्ज करने में किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी न होने के कारण, चार वर्ष की सेवा के बाद अपीलकर्ताओं की सेवा समाप्ति मनमाना था। यह भी बताया गया कि ऊँचाई गलत दर्ज करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर अपनी ऊँचाई गलत दर्ज करवाई थी, तब भी उनकी सेवा समाप्ति अत्यंत कठोर थी। उन्हें पूर्व सेवा के लाभ के बिना भी सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए निर्णय को खंडपीठ ने गलत तरीके से उलट दिया, जब विभाग द्वारा ही समान पद पर नियुक्त एक कर्मचारी को बहाल कर दिया गया।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने खंडपीठ के दृष्टिकोण का समर्थन किया और तर्क दिया कि भविष्य के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, लेकिन अपीलकर्ताओं की सेवा समाप्ति का विवादित आदेश अप्रभावित रहेगा और वे अपनी ऊँचाई दर्ज करने में हेराफेरी के दोषी थे, जिसके लिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी। यह प्रस्तुत किया गया कि सेवा समाप्ति का आदेश उचित था और ग्यारह साल पहले पारित किया गया था। यदि अपीलकर्ताओं को इस स्तर पर, सेवा की निरंतरता के साथ, बहाल कर दिया जाता है, तो वे सेवा में उच्च पदों के लिए आवश्यक अपेक्षित अनुभव के बिना वरिष्ठता का दावा करने के पात्र होंगे।

12. हमने प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर उचित विचार किया है। यह निर्विवाद है कि हेरफेर के आरोप की विधिवत जाँच की गई और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निष्कर्ष दर्ज किया गया। इस प्रश्न के बावजूद कि क्या उम्मीदवारों की अधिक ऊँचाई के आधार पर चयन करने में अपनाए गए मानदंड वैध थे, तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने हेरफेर किया और अपनी ऊँचाई गलत तरीके से अपनी वास्तविक ऊँचाई से अधिक दर्ज करवाई। साथ ही, ऊँचाई को सही ढंग से दर्ज करने की जिम्मेदारी विभाग की थी और अपीलकर्ताओं के विधिवत चयनित और नियुक्त होने और चार वर्षों तक सेवा में रहने के बाद, तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी बर्खास्तगी बहुत कठोर होगी। इन परिस्थितियों में, जबकि हम अपीलकर्ताओं को बकाया वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने के इच्छुक नहीं हैं, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर उपलब्ध रिक्तियों पर सिपाही के रूप में नई नियुक्ति दी जाए।

13. उपरोक्त शर्तों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।